



® राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

वेबसाइट: www.indiaseeds.com

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला: अनूपगढ़, राजस्थान-335702

ईमेल- csf.jetsar@indiaseeds.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Website: www.indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, JETSAR

Distt: Anupgarh, Rajasthan-335702

E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./कृषि/13-06/2024-25/

दिनांक: 10.04.2024

निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला:-अनूपगढ़ (राजस्थान) में वर्ष 2024-25 में फार्म की विशिष्ट संतति उद्यान एवं व्यवसायिक उद्यान व कार्यालय परिसर में स्थित फलदार वृक्षों के फल तोड़ने के अधिकार हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी धरोहर राशि रुपये 10,000/- होगी। जिसके लिए सीलबन्द निविदायें दिनांक 18.04.2024 को दोपहर 2.30 बजे तक प्राप्त की जायेगी जोकि उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अपराह्न 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा में भाग लेने हेतु निर्धारित की गई धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट जोकि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला(खाता सं:- 4153 2435 884, IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। नियम एवम् शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से साय 5.00 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती हैं। निविदा में भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र कृषि कार्यालय से प्राप्त करने के लिए रुपये 236 (200 Tander fee +18 % GST) का डिमान्ड-ड्राफ्ट, RTGS/NEFT के माध्यम से फार्म के बैंक खाते में जमा की रसीद प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक की कॉपी की फोटो कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

वेबसाइट: www.indiaseeds.com

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला: अनूपगढ़, राजस्थान-335702

ईमेल- csf.jetsar@indiaseeds.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Website: www.indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, JETSAR

Distt: Anupgarh, Rajasthan-335702

E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./ 13-06/ उद्यान/ 2024-25/

दिनांक: 10.04.2024

निविदा प्रपत्र

आपकी निविदा सूचना क्रमांक: के.रा.फा./ जैत./ 13-06/ उद्यान/ 2024-25/ दिनांक 10.04.2024 के संदर्भ में आपके बाग के निम्नलिखित फलों को वर्ष 2024-2025 में तोड़ने का अधिकार लेने हेतु दर निम्न प्रकार से दे रहा हूँ। आपके द्वारा निर्धारित धरोहर राशि मैंने जमा करवा दी है। इस सम्बंध में आपकी जो भी नियम व शर्तें हैं, वे मुझे मंजूर हैं।

क्र. स.	बाग का नाम	विवरण		क्षेत्रफल (हैक्टर में)	प्रस्तावित कीमत (रूपयों में)
अ	विशिष्ट संतति उद्यान एवं व्यवसायिक उद्यान	फसल	फल वाले पौधे		रु0.....
		खजूर	350	5.8	
		आम	13	खाला व पार्क में	
		मौसमी	4	0.8	
		बेल पत्र	60	2.4	
ब	कार्यालय परिसर	आम	21	खाला व पार्क में	

भवदीय,

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता का नाम.....

गाँव.....

पोस्ट.....

जिला.....

फोन न0.....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला-अनूपगढ़ (राज0)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर में 2024-25 के फलों की नीलामी की शर्त:-

1. ठेकेदार को निविदा में भाग लेने से पूर्व पहचान पत्र पेन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक विवरण हेतु:- बैंक खाता कॉपी/कैंसिल चैक की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा, जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि बोली दाता/ठेकेदार कोई साझीदार फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बंधित हों। यदि ठेकेदार कोई पंजीकृत कम्पनी है तो उसे कम्पनी का पार्षद सीमा नियम/अर्न्तनियम, पंजीकरण प्रमाण पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रत्येक बोलीदाता को बोली/टेण्डर में भाग लेने से पहले फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि रु0 10000/- (रुपये दस हजार रुपये मात्र) रुपये का बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता सं.: 4153 2435 884) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। सफल बोली/ टेण्डर दाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर लौटाई जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा असफल बोली/टेण्डरदाता की धरोहर राशि, सम्बंधित निविदादाता के बैंक खाते में लौटा दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोली स्थल पर कोई अस्त्र शस्त्र ले जाना निषिद्ध है। सन्देहास्पद दशा में तलाशी भी ली जा सकती है।
3. फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये बोली को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर सकते हैं।
4. खरीददार को बाग के फल तोड़ने के अधिकार की अबधि विभिन्न फलों के प्रकृति एवं स्वभाव अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, ज्यों ही फलों की चुनाई का समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का फलवृक्षों व उन पर लगे फलों पर कोई अधिकार नहीं होगा। ठेके की शर्तों के अनुसार निश्चित राशि का भुगतान करके व मौसमी के फलों को तोड़ने का अधिकार 31.10.2024 तक तथा आम, बेल पत्र व खजूर के फलों को तोड़ने का अधिकार 31.08.2024 इसके बाद ठेकेदार को फल तोड़ने का कोई अधिकार नहीं होगा।
5. बाग की जुताई, निराई, सिंचाई, दवाओं का छिड़काव व अन्य वांछित कार्य समय समय पर आवश्यकतानुसार व उपलब्धतानुसार कराये जायेंगे। ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों को निर्धारित समय से पूर्व अथवा अधिक करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करे।
6. यदि कोई व्यक्ति बिना खरीददार की जानकारी के फल तोड़ता हुआ पाया गया तो खरीददार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के फार्म प्रमुख को देगा।
7. फलों को तोड़ने व फलों की सभी प्रकार की सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार होगा। किसी दैविक प्रकोप से हुए नुकसान के लिए बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ठेकेदार चाहे तो उसे अपने खर्च व जोखिम पर फलों का बीमा कराने की अनुमति होगी। नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखाड़ना, सूखना, बीमारी/ कीड़ों आदि (प्राकृतिक/ अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। बोली दाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा।
8. यदि खरीददार फलों का एकत्रीकरण व चुनाई का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता है तो वह एक अधिकार पत्र फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा जिसकी सूचना बाग के प्रभारी व सुरक्षा अधिकारी को भी देगा।
9. फल तोड़ने के लिए खरीददार अपने द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के नाम व पते जो बाग में रहेंगे, फार्म के सम्बंधित अधिकारी व फार्म प्रमुख को सूचित करेगा।

क्रमशः पेज दो पर लगातार

10. यदि कुछ फल फार्म द्वारा परीक्षण आदि के लिए तोड़े गये तो खरीददार उनका विरोध नहीं करेगा तथा कुछ फल (अधिकतम मात्रा 1.00 कुण्टल) फार्म के लिए आरक्षित रखे जायेंगे जिसकी कोई कीमत नहीं दी जाएगी। फल वृक्षों से कलम आदि लेने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा, यदि इससे फलों को कोई नुकसान होता है तो उसका कोई हर्जाना नहीं दिया जाएगा।
11. यदि फार्म की सम्पत्ति को कोई हानि ठेकेदार या उसके किसी आदमी के किसी कृत्य द्वारा होती है तो उसके लिए ठेकेदार/ खरीददार जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म प्रमुख द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/ खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। इस पर कोई भी आपत्ति तथा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। झगडा या मतभेद के मामले में फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर का निर्णय अंतिम होगा।
12. नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/ खरीददार फलों की सुरक्षा, चुनाई/ तुड़ाई, पैकिंग, ढुलाई आदि समस्त फल विपणन कार्य अपने जोखिम व खर्च पर करेगा साथ ही सभी कर व अन्य प्रभार जैसे चुंगी, नगरपालिका, मण्डी समिति शेष आदि यदि हो तो फल ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा। निविदादाता को स्पष्ट कहा जाता है कि फलों के उक्त ठेके में किसी भी प्रकार का कर, टैक्स, चुंगी आदि लगता है तो नियमानुसार सफल निविदादाता को स्वयं ही वहन करना होगा।
13. खरीददार द्वारा शर्तों की अवहेलना करने पर फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, को जमा की गई धरोहर धनराशि व अन्य चुकाई गई राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। खरीददार बिना फार्म प्रमुख महोदय की लिखित आज्ञा के कोई भी किसी प्रकार का सौदा या भागीदारी व अन्य हस्तांतरण किसी अन्य बोलीदाता या किसी व्यक्ति से/ को नहीं करेगा।
14. इस सौदे के लिए रु0 500/ - (पांच सौ रुपये) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध ठेकेदार को करना होगा। स्टाम्प पेपर पर हुए खर्च को ठेकेदार वहन करेगा। यह अनुबन्ध ठेका स्वीकृत होने के सात दिन के अन्दर ही करना होगा।
15. खरीददार फार्म एरिया में कोई पशु आदि नहीं रखेगा, ना ही घास फूस आदि काटेगा और फार्म की बिजली का प्रयोग भी नहीं करेगा। यदि फार्म द्वारा बिजली का प्रबंध संभव होता है तो फार्म द्वारा निश्चित की गई राशि मासिक अन्तराल पर अग्रिम आधार पर ठेकेदार/ खरीददार द्वारा फार्म रोकडिया के पास जमा करानी होगी।
16. नीलामी के पश्चात अगर बोली दाता समय पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फल तोड़ने से रोका जा सकता है साथ ही देरी से धन जमा करने पर 18% ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। उसके उपरांत बिना सूचना दिये ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। ठेकेदार की धरोहर धनराशि व अन्य जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि पुनः ठेका की प्रक्रिया में कोई हानि फार्म को होती है तो उसकी उगाही ठेकेदार से की जा सकती है।
17. शर्तों की अवहेलना करने पर बाग की दोबारा नीलामी उच्चतम बोली दाता की जिम्मेदारी पर कर दी जाएगी। उस हालत में धरोहर राशि व अन्य धन राशि जो भी फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर ली जाएगी। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राशि आती है तो वह राशि प्रथम बोली दाता से वसूली जाएगी।
18. साधारणतया फलों को बगीचे से बाहर ले जाने के लिए अनुमति कार्य दिवस में सुबह 8-00 बजे से शाम 5-00 बजे तक होगी। किसी भी भार वाहन द्वारा फल ले जाने के लिए गेट पास आवश्यक होगा।
19. यदि कोई भी बोली दाता किसी कम्पनी या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो बोली बोलने वाले को संस्था या कम्पनी द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षर तथा बोली देने का अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. ठेकेदार या उसका कोई भी आदमी फार्म के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से झगडा नहीं करेगा सभी शर्तों का पालन करेगा व अपना आचरण अच्छा रखेगा। यदि फार्म ठेकेदार के आचरण को अनुचित पाता है या उसे शर्तों का पालन करने में असमर्थ पाता है तो उसे 05 वर्षों के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।
21. खरीददार की उच्चतम बोली की धनराशि जमा करने की शर्त : -

1- ठेकेदार को नीलामी धन राशि का 25 प्रतिशत बोली मंजूर होने के तुरन्त बाद जमा करना होगा। यदि कोई ठेकेदार नीलामी धन राशि का 25 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा नहीं कर पाता है तो दो कार्य दिवस में 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा की जा सकती है। निर्धारित नीलामी धन राशि का 25 प्रतिशत राशि जमा करने पर ही ठेके का अनुबंध किया जायेगा। अगर पूरी राशि दो कार्य दिवस में जमा नहीं की जाती है तो उस अवस्था में धरोहर राशि व जमा की गई राशि फार्म द्वारा जब्त की जा सकती है।

2- ठेकेदार को नीलामी धन राशि का शेष 75 प्रतिशत बोली मंजूर होने के दिन से एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। अगर विभिन्न फल फसलों को एक साथ नीलाम किया जाता है तो 75 प्रतिशत नीलामी धन राशि जमा करने की निश्चित समय/ अन्तरालों की सूचना निम्न प्रकार से होगी:-

क्रमशः पेज तीन पर लगातार

नीलामी धन राशि जमा करने की निश्चित तिथियाँ

यदि विभिन्न फलों की नीलामी एक साथ या लाट वाइज अलग-अलग की जाती है तो 75

प्रतिशत बकाया धन किस्तों में देना होगा जोकि निम्न प्रकार निश्चित होगा:-

क. 35 प्रतिशत धनराशि दिनांक 30.05.2024 तक जमा करनी होगी। यदि इस तिथि से पहले ठेकेदार बेल पत्र, आम, मौसमी, खजूर आदि के फल तोड़ना चाहता है तो उसे सम्पूर्ण (75 प्रतिशत बकाया) धन राशि फल तोड़ने से पहले ही जमा करनी होगी तत्पश्चात ही उसे फल तोड़ने दिया जाएगा।

ख. 40 प्रतिशत धनराशि दिनांक 30.06.2024 तक जमा करनी होगी। यदि इस तिथि से पहले ठेकेदार बेल पत्र, आम, मौसमी, खजूर के फल तोड़ना चाहता है तो उसे सम्पूर्ण (75 प्रतिशत बकाया) धन राशि फल तोड़ने से पहले ही जमा करनी होगी तत्पश्चात ही उसे फल तोड़ने दिया जाएगा।

अगर खरीददार समय पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फल तोड़ने से रोका जा सकता है साथ ही देरी से धन जमा करने पर 18 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। तत्पश्चात भी अगर बकाया किस्त जमा नहीं की जाती तो ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेदारी पर कर दी जाएगी। उस हालत में धरोहर राशि व अन्य धन राशि जो भी फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर ली जाएगी। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राशि आती है तो वह राशि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जाएगी। यदि आयकर अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर/ उपकर लागू होता है तो सम्बंधित ठेकेदार चुकाएगा।

22. खरीददार द्वारा जमा धरोहर धन राशि/ ई.एम.डी. फार्म में सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने पर कि ठेकेदार द्वारा कोई हानि फार्म को नहीं हुई है तो ठेका समाप्ति के बाद ठेकेदार को बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।
23. ठेकेदार द्वारा लगाये गये व्यक्ति फार्म एरिया में जंगली या प्रतिबंधित जानवरों का शिकार नहीं करेगा और ना ही उन्हें परेशान करेगा, यदि ऐसा पाया गया तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
24. बोली छूटने के बाद के वृक्षों अथवा फलों में यदि किसी बीमारी या कीड़ों का प्रकोप होता है तो इनकी रोकथाम हेतु भरपूर पौध संरक्षण प्रयास फार्म द्वारा किए जायेंगे। यदि पौध संरक्षण अधिकारी व उद्यान प्रभारी द्वारा किए गए उपायों व प्रयासों के उपरांत भी बीमारी, महामारी, कीटों की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं हो पाती है और यदि इसकी वजह से फलों की कोई हानि होती है तो इस एवज में ठेकेदार को कोई भी आर्थिक छूट या राहत नहीं दी जाएगी।
25. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। इन मामलों में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी धरोहर राशि जब्त कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
26. ठेकेदार बाग में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे फल वृक्षों या बाग को कोई नुकसान पहुँचे। वह अपनी इच्छा से या स्वयं किसी दवा का छिड़काव, खुदाई, कटाई, आग जलाना, कोई निर्माण आदि कार्य नहीं करेगा। अगर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति फार्म सम्पत्ति को पहुँचती है तो फार्म द्वारा क्षति की ऑकलन राशि, ठेकेदार को फार्म में जमा करानी होगी।
27. यदि सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/ नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमत/ औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बंध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

क्रमशः पेज चार पर लगातार

28. आर्बिट्रेशन :-यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे । यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम,के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा 1996 । इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्षप्रबंधक निदेशक -सह- इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा । कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे । मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी । न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा ।) ARBITRATION- In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.(

उपरोक्त नियम व शर्तों को मेरे द्वारा सुन लिया है ,समझ लिया है व पढ़ लिया गया है जो मुझे पूर्णतयः स्वीकार है ।

हस्ताक्षर ठेकेदार